न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी – श्रीमती निमिषा गुप्ता ,आर ए एस अपील

संख्या– एल आर ए/245/2015

उनवान

1. माधु पिता मेवा उर्फ देवा गुर्जर निवासी देवरिया तहसील फुलियॉ कला, जिला भीलवाडा मृतक के कायम मुकामः–
   1/1 बाली बेवा माधु गुर्जर निवासी देवरिया
   1/2 उदयलाल आत्मज माधु गुर्जर निवासी देवरिया
   1/3 बालु आत्मज माधु गुर्जर निवासी देवरिया
   1/4 सजनी आत्मजा माधु गुर्जर निवासी देवरिया तहसील फुलियॉकला, जिला भीलवाडा

अपीलार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार,फुलियॉकला जिला भीलवाडा

———रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम
अपील विरूद्व आदेश जिला कलक्टर,, भीलवाडा के
प्रकरण संख्या एफ.12–3(1) (सेअ)/आरए/2015/3696
सेट–ए–पार्ट आदेश दिनांक 5.11.2015

अभिभाषक : 1. श्री बी एल गुर्जर अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री ओम प्रकाश सोनी, अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1

आदेश

दिनांक 23.2.2018

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि जिला कलक्टर, भीलवाडा ने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 कीधारा 92 के तहत प्रदत्त शक्तियों का

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

प्रयोग करते हुए ग्राम देवरिया की बिलानाम गैर काबिल काश्त आराजी नम्बर 88/2136 रकबा 0.22 हेक्टर भूमि श्मशान हेतु प्रयोजनार्थ सेट–ए पार्ट की। जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

2. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई एवं उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. अपीलार्थी ने अपील के साथ धारा 96 सी पी सी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलार्थी को कोई जानकारी नहीं थी एवं न ही अपीलाण्ट अपीलाधीन मामले में पक्षकार था। यदि विवादग्रस्त आराजियात पर श्मशान निर्मित कर दिया जाता है तो अपीलार्थी को उसकी खातेदारी की आराजियात पर आने–जाने का रास्ता बन्द हो जायेगा। वादग्रस्त भूमि पर अपीलार्थी का कब्जा है। इसलिए अपीलार्थी को अपील करना आवश्यक हो गया है। अतः अपीलार्थी को अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति प्रदान की जावे।

4. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी को अधीनस्थ न्यायालय/कार्यालय के आदेश की जानकारी अपीलार्थी को नहीं हुई थी। दिनांक 8.12.2015 को जब पटवारी हल्का, ग्रामवासियों एवं खेत के पडौसी ने बताया कि अपीलार्थी के खेत में से श्मशान के लिए जमीन आवंटित कराई है । तब जाकर अपीलार्थी ने अपीलाधीन निर्णय की प्रति प्राप्त कर अपील प्रस्तुत की है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कण्डोन किये जाने का निवेदन किया ।

5. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय/कार्यालय जिला कलक्टर, भीलवाडा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

द्वारा वादग्रस्त आराजी नम्बर 88/2136 रकबा 0.22 हेक्टर भूमि श्मशान हेतु प्रयोजनार्थ सेट–ए पार्ट किये जाने का जो आदेश पारित किया है वह नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों की पालना नहीं कर पारित किया गया है। वादग्रस्त आराजी 88/2136 रकबा 0.22 हेक्टर अपीलार्थी की खातेदारी की आराजी नम्बर 88 के बिल्कुल सटी हुई आराजी है । उक्त दोनों आराजियात एकजाई होकर अपीलार्थी का कब्जाकाश्त है। अपीलार्थी की आराजी नम्बर 88 के पूर्व की तरफ वादग्रस्त आराजी नम्बर 88/2136 रकबा 0.22 हेक्टर स्थित है एवं आराजी नम्बर 88/2136 के पूर्व की तरफ रास्ता है जिसके आराजी नम्बर 101 है। उक्त रास्ते के जरिये अपीलार्थी वादग्रस्त आराजी नम्बर 88/2136 में से होकर अपने खातेदारी की आराजी नम्बर 88 में आता जाता है। ऐसी स्थिति में यदि वादग्रस्त आराजी नम्बर 88/2136 को श्मशान हेतु आरक्षित किया जाता है एवं उक्त भूमि का श्मशान हेतु प्रयोग में लाया जाता है तो अपीलार्थी को उपलब्ध रास्ता जो वादग्रस्त आराजी नम्बर 88/2136 में से होकर उपयोग कर रहा है वह बन्द हो जायेगा एवं अपीलार्थी अपनी खातेदारी की आराजी में नहीं जा सकेगा।

6. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि वादग्रस्त आराजी नम्बर 88/2136 के पूर्व स्थित रास्ता जिसके आराजी नम्बर 101 है के पूर्व की तरफ भी अपीलार्थी की खातेदारी की आराजी नम्बर 115 स्थित है। जिसमें वर्तमान में श्मशान निर्मित होकर उसका उपयोग श्मशान के लिए लिया जा रहा है। इस प्रकार ग्राम देवरिया वासियों के लिए श्मशान बना होकर टीन सेड भी लगा हुआ है ऐसी स्थिति में वादग्रस्त आराजी नम्बर 88/2136 में पुनः श्मशान के लिए भूमि आवंटित किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश को खारिज किया जावे।

7. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि वादग्रस्त आराजी नम्बर 88/2136 पर श्मशान हेतु भूमि आवंटित कराने की कोई आवश्यकता नहीं थी परन्तु सरपंच ने जान–बूझकर अपीलार्थी को नुकसान पहूँचाने की गरज से प्रस्ताव पारित कर वादग्रस्त भूमि पर श्मशान बनवाने के लिए भूमि को आरक्षित कराने की कार्यवाही की। वादग्रस्त आराजी नम्बर 88/2136 पर वर्तमान में भी अपीलार्थी की फसल खडी है। आराजी नम्बर 101 रास्ता है जो वादग्रस्त आराजी नम्बर 88/2136 के पास से होता हुआ उत्तर में नदी में होकर नदी के दूसरे छोर पर बसे गांव में जाता है। अपीलार्थी भी अपनी आराजी नम्बर 88 से निकलकर वादग्रस्त आराजी नम्बर 88/2136 में से होकर रास्ता आराजी नम्बर 101 में प्रवेश करता है एवं नदी के दूसरे छोर स्थित गांव में आता जाता है एवं अपने गांव में आने–जाने के लिए भी वादग्रस्त आराजी नम्बर 88/2136 का ही उपयोग उपभोग करता है। यदि श्मशान हेतु भूमि सेट–ए–पार्ट की जाती है तो अपीलार्थी को भारी असुविधा हो जायेगी।

8. अपीलार्थी का यह भी निवेदन है कि रास्ते के पूर्व स्थित आराजी नम्बर 115 जो कि अपीलार्थी की खातेदारी की आराजी है। जिसमें काफी पुराना श्मशान निर्मित है एवं वहॉ पर श्मशान हेतु निर्माण भी किया हुआ है एवं टीन शेड भी लगे हुए हैं । उस आराजी नम्बर 115 के उत्तर की तरफ नदी स्थित है वहॉ पर सारी सुविधाएं है ऐसी स्थिति में नये श्मशान हेतु पुनः भूमि वादग्रस्त आराजी नम्बर 88/2136 में आरक्षित किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। पटवारी हल्का से मौके की वास्तविक रिपोर्ट नहीं ली गई

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

है। मात्र अपीलार्थी को परेशान करने की नियत से ग्राम पंचायत में प्रस्ताव लिया गया एवं वादग्रस्त आराजी नम्बर 88/2136 में श्मशान हेतु भूमि को आरक्षित की गई है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय को निरस्त किया जावे।

9. अधिवक्ता प्रत्यर्थी/राजकीय अधिवक्ता का निवेदन है कि वादग्रस्त आराजी नम्बर 88/2136 राजस्व रेकार्ड में बिलानाम गैर काबिल काश्त दर्ज रेकार्ड है। जिसे श्मशान हेतु आरक्षित किये जाने का आदेश ग्राम पंचायत के प्रस्ताव एवं तहसीलदार, एवं उपखण्ड अधिकारी फुलियॉकलॉ की अनुशंसा के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया है। वादग्रस्त आराजी पर अपीलार्थी का कोई कब्जाकाश्त नहीं है।यदि अपीलार्थी को अपनी आराजी में आने–जाने में कोई असुविधा हो तो वह धारा 251 ए के तहत सक्षम न्यायालय में चाराजोही कर सकता है। अधीनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जावे।

10. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अपीलार्थी ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील को अन्दर मियाद मानने का निवेदन किया । अपीलार्थी ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भावी एवं संतोषप्रद होने से अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद मानी जाती है।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

11. अपीलार्थी ने अपील के साथ धारा 96 सी पी सी प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति चाही है। चूंकि अपीलार्थी अपीलाधीन आदेश से व्यथित पक्षकार है । अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी पी सी स्वीकार किया जाता है।

12. अधीनस्थ न्यायालय/कार्यालय द्वारा अपीलाधीन आदेश से ग्राम देवरिया की बिलानाम गैर काबिल काश्त आराजी नम्बर 88/2136 रकबा 0.22 हेक्टर भूमि श्मशान हेतु प्रयोजनार्थ सेट–ए पार्ट की गई है। उक्त आदेश ग्राम पंचायत के प्रस्ताव के उपरान्त तहसीलदार, एवं उपखण्ड अधिकारी फुलियॉकलॉ की अनुशंसा के आधार पर पारित किया गया है जो कि सार्वजनिक हित को ध्यान में रखकर पारित किया गया है।

13. अपीलार्थी का यह कथन है कि वादग्रस्त आराजी नम्बर 88/2136 रकबा 0.22 हेक्टर अपीलार्थी की खातेदारी की आराजी नम्बर 88 के पूर्व की तरफ सटा हुआ होकर उस पर अपीलार्थी का कब्जाकाश्त है एवं वादग्रस्त आराजी नम्बर 88/2136 रकबा 0.22 हेक्टर के पूर्व की तरफ रास्ता आराजी नम्बर 101 स्थित है। उक्त रास्ते से होकर अपीलार्थी वादग्रस्त आराजी नम्बर 88/2136 रकबा 0.22 हेक्टर में होकर अपनी आराजी नम्बर 88 में प्रवेश करता है। यदि श्मशान बना दिया जाता है तो अपीलार्थी अपनी खातेदारी की आराजी नम्बर 88 में प्रवेश नहीं कर पायेगा । साथ अपीलार्थी का यह भी निवेदन हे कि रास्ते के पूर्व की तरफ स्थित आराजी नम्बर 115 भी अपीलार्थी की खातेदारी की आराजी है उसमें काफी लम्बे समय से श्मशान स्थित है

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

जहॉ पर श्मशान का निर्माण किया हुआ है एवं टीन शेड भी लगे हुए हैं । ऐसी स्थिति में पुनः श्मशान हेतु भूमि आरक्षित किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। क्योंकि श्मशान के लिए अपीलार्थी की आराजी नम्बर 115 का उपयोग किया जा रहा है। जिसमें अपीलार्थी ने कोई आपत्ति नहीं की है। मात्र अपीलार्थी को परेशान करने की गरज से उक्त अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है।

14. अपीलार्थी की खातेदारी की आराजी नम्बर 88 में आने जाने के लिए वह वर्तमान में वादग्रस्त आराजी नम्बर 88/2136 रकबा 0.22 हेक्टर में से होकर आना जाना कहता है एवं उस पर अपना कब्जा होना बताता है परन्तु तहसीलदार एवं उपखण्ड अधिकारी, फुलियॉकलॉ की अनुशंसा पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर की गई है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 22.5.2015 में वादग्रस्त आराजी पर किसीका कब्जा नहीं होना अंकित किया हुआ है। ऐसी स्थिति में यह नहीं माना जा सकता है कि वादग्रस्त आराजी 88/2136 रकबा 0.22 हेक्टर पर अपीलार्थी का कब्जा है। अपीलार्थी ने अपने कब्जे बाबत कोई राजस्व रेकार्ड भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। जहॉ तक रास्ते के रूप में वादग्रस्त आराजी नम्बर 88/2136 रकबा 0.22 हेक्टर का उपयोग करने का संबंध है वादग्रस्त आराजी नम्बर 88/2136 के दक्षिण की तरफ स्थित आराजी में से अपीलार्थी अपनी आराजी नम्बर 88 में आने जाने के लिए रास्ता प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र है। वह अपनी आराजी में आने जाने के लिए धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत चाराजोही करने के लिए स्वतंत्र है।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

15. अपीलार्थी का यह भी कथन है कि अपीलार्थी की खातेदारी की आराजी नम्बर 115 जो कि रास्ता आराजी नम्बर 101 के पूर्व की तरफ स्थित है । जिसमें वर्तमान में श्मशान निर्मित होने का कथन करता है वह अपनी आराजी में श्मशान को हटवाने के लिए कार्यवाही करने के लिए भी स्वतंत्र है । वादग्रस्त आराजी नम्बर 88/2136 रकबा 0.22 हेक्टर को सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए श्मशान भूमि के लिए सेट–ए–पार्ट/आरक्षित की गई है जो विधिसम्मत है। जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है।

16. अतः अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 5.11.2015 को यथावत रखा जाता है।

17. निर्णय आज दिनांक 23.2.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

23/2/18

(निमिषा गुप्ता)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा